रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934
No. 350] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2013

का.आ. 377(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा ।। के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 485(अ), तारीख 26 फरवरी, 2010 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 148.000 कि.मी. से 318.000 कि.मी. (कन्नूर-वेंगालम-कुट्टीपुरम सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मैसर्स नार्थ मालबार एक्सप्रैसवे प्रा. लिमिटेड, जो 27.03.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एमसीएच नम्बर 555, अरोरा कॉलोनी, रोड़ नं. 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद ''रियायतग्राही'' कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के जयपुर 148.000 कि.मी. से 230.000 कि.मी. कन्नूर-वेंगालम सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त खण्ड'' कहा गया है) का चार लेन के विभाजित कैरिजवे में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खंड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके बाद "आधार दर" कहा गया है) और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात् वर्ती हो,

करार में निर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है:

IndiaCode

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपये में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संख्या निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एसएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा)					
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस (दो धुरी वाले)	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन तीन से छह धुरी वाले)	बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
दो सौ करोड़ रूपए से अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	2.25	3

IndiaCode

टिप्पण:-

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय किया जायेगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर 188.00 कि.मी. (वर्तमान चैनेज)/ 189.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज)	37.200

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचना(संरचनाओं) के उपयोग के लिये, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, के लिए भी शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**बाईपास की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रूपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा**	
	लंबाई	**लागत**
राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर 188.00 कि.मी. (वर्तमान चैनेज)/ 189.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज)	18.000 कि.मी.	125.540 करोड़ रू0
	17.000 कि.मी.	150.400 करोड़ रू0
	11.000 कि.मी.	74.370 करोड़ रू0

3. वर्ष 2012-13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 200.00/- रूपए (दो सौ रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:-

संदेय रकम	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की रकम का दो तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन इसके प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खंड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड़, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार शुल्क में वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा परंतु शर्त यह है कि छः मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/628/सीओ/11-12/जीसी-कोझी कोड (148.00-230.00) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2013

S.O. 377(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry *of Road Transport and Highways* number S.O. 485 (E), dated the 26th February, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 148.000 to kilometer 318.000 (Kannur – Vengalam - Kuttipuram section) of National Highway No. 17 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s North Malbar Expressway Private Limited, having its registered office at MCH No. 555, Arora Colony, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad – 500034, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 27.03.2009 for the development of Kannur –Vengalam section from Km 148.000 to Km 230.000 on National Highway No. 17 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structure / bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

620GI/13—2

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

Table 2

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus (Two Axels)**	**HCM, EME or MAV (Three to Six Axels)**	**Oversized Vehicle (Seven or more Axles)**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 188.000 (Existing chainage)/Km 189.000 (Design chainage) on NH-17	37.200

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 188.000 (Existing chainage)/Km 189.00 (Design chainage) on NH-17	18.000 Km	Rs.125.540 crore
	17.000 Km	Rs.150.400 crore
	11.000 Km	Rs.74.370 crore

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provide that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/628/CO/11-12/GC Koziakode (148.00-230.00) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.